राज कुमार मौर्य
असिस्टेन्ट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग,
श्री गदाधर आचार्य जनता कालेज,
रामबाग, बिहटा, पटना
B.A. II Year (H.) Paper-III

विषय - संघ लोक सेवा आयोग

ब्रिटिश सरकार के द्वारा वर्ष 1926 में ली कमीशन की अनुशंसा पर लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। भारत शासन अधिनियम, 1935 में लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया। स्वतन्त्रता के पश्चात भारतीय संविधान के अन्तर्गत अनुच्छेद 315 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग ~~की~~ का प्रावधान किया गया है।

वर्तमान समय में इस आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त 10 अन्य सदस्य होते है। इन सभी सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तथा इन सभी का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। समय से पूर्व सदस्यों को अक्षमता व कदाचार के आधार पर हटाया जा

Scanned with CamScanner

सकता है, किन्तु इसके लिए राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनकी जाँच करवाई जाती है। जाँच के पश्चात इस रिपोर्ट के आधार पर इन्हें हटाने या न हटाने का निर्णय राष्ट्रपति के द्वारा लिया जाता है।

संघ लोक सेवा आयोग की स्वतन्त्रता को बनाए रखने हेतु इसके अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के वेतन व अन्य भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं।

आयोग के अध्यक्ष को सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार की सेवा के अन्तर्गत कोई अन्य पद धारण करने की अनुमति नहीं प्रदान की गई है। परन्तु आयोग के सदस्य इस आयोग के ~~अत अथवा राज्य~~ अध्यक्ष के रूप में अथवा किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में कार्य कर सकते हैं।

संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन किया जाता है।

⇒ अखिल भारतीय सेवाओं के लिए यह आयोग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को आयोजित करने का कार्य करता है।

⇒ जब दो या इससे अधिक राज्य अपने यहाँ एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रस्ताव करें तो आयोग के द्वारा यह कार्य भी सम्पादित किया जाता है।

⇒ भारत सरकार के द्वारा लोक सेवकों की प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति तथा इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के ~~सम्बन्ध~~ विषय में आयोग के द्वारा परामर्श किया जाता है।

⇒ भारत सरकार के कार्मिक मन्त्रालय द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के प्रारूप में परिवर्तन की अनुशंसा माँगे जाने पर आयोग उन्हें अनुशंसा उपलब्ध

Scanned with CamScanner

करवाता है।

⇒ संघ लोक सेवा आयोग को समेव सिविल कोर्ट की शक्तियाँ प्राप्त है, यह भारत के किसी भी नागरिक को सम्मन भेज सकता है तथा ~~यह~~ आयोग के द्वारा किसी भी विभाग की रिपोर्ट की माँग की जा सकती है।

संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा प्राति वर्ष अपने कार्यों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाती है, जिसे राष्ट्रपति संसद के सम्मुख प्रस्तुत करवाते हैं।

Scanned with CamScanner